



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 29.01.2020 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० हरी शरण	सदस्य
3.	प्रो० अंजु	सदस्य
4.	प्रो० सुधा यादव	सदस्य
5.	प्रो० आफशॉ सिद्दीकी	सदस्य
6.	प्रो० अवधेश कुमार तिवारी	सदस्य
7.	डॉ० अनुराग द्विवेदी	सदस्य
8.	डॉ० रामप्यारे मिश्र	सदस्य
9.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
10.	डॉ० ओम प्रकाश शुक्ल	सदस्य
11.	डॉ० देवेन्द्र प्रताप मिश्र	सदस्य
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री राम सूरत राम (मौर्या)	सदस्य
13.	डॉ० महेन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य
14.	श्री प्रमथ नाथ मिश्र	सदस्य
15.	प्रो० राम अचल सिंह	सदस्य
16.	श्री प्रमोद मातनहेलिया	सदस्य
17.	श्री अमर सिंह	वित्त अधिकारी
18.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ-साथ मा० कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो० सुभी धुसिया, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, प्रो० अंजु, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, आचार्य, वाणिज्य विभाग, डॉ० अनुराग द्विवेदी, सहयुक्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग एवं डॉ० रामप्यारे मिश्र, सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके उपरान्त कुलसचिव ने मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की-

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	<p>कार्यपरिषद् ने नये कुलपति के नाम की संस्तुति हेतु कुलाधिपति के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या : ई-149/जी०एस० दिनांक : 06 जनवरी, 2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 1973 की धारा 12(2)(क) में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा गठित किये जाने वाले समिति में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा समिति का सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्य परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 1973 की धारा 12(2)(क) में वर्णित प्रावधान के</p>

अन्तर्गत नये कुलपति के नाम की संस्तुति हेतु प्रो० हरिकेश सिंह, भूतपूर्व कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भूतपूर्व संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, एजुकेशन फाउंडेशन विभाग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली एवं भूतपूर्व सदस्य, स्टेट एडवाइजरी कौंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा गठित किये जाने वाली समिति का सदस्य नामित किया गया।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



कुलसचिव



कुलपति



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2020 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० एन०पी० भोक्ता	सदस्य
3.	प्रो० अवधेश कुमार तिवारी	सदस्य
4.	प्रो० सुभी धुसिया	सदस्य
5.	प्रो० अंजु	सदस्य
6.	प्रो० विजय शंकर वर्मा	सदस्य
7.	डॉ० अनुराग द्विवेदी	सदस्य
8.	डॉ० राम प्यारे मिश्र	सदस्य
9.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
10.	डॉ० जे०के० लाल	सदस्य
11.	डॉ० ओम प्रकाश शुक्ल	सदस्य
12.	डॉ० देवेन्द्र प्रताप मिश्र	सदस्य
13.	डॉ० महेन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य
14.	श्री प्रमथ नाथ मिश्र	सदस्य
15.	प्रो० राम अचल सिंह	सदस्य
16.	श्री प्रमोद मातनहेलिया	सदस्य
17.	श्री अमर सिंह	वित्त अधिकारी
18.	डॉ० ओम प्रकाश, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता, औषधि संकाय, डॉ० गणेश, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर, डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर, प्रो० सुधा यादव, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, प्रो० आफशां सिद्दीकी, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं नवनामित सदस्य, प्रो० एन०पी० भोक्ता, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, प्रो० विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, प्रो० शीतला प्रसाद सिंह, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग, डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर एवं डॉ० जे०के० लाल, प्राचार्य, सेण्टएण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके पश्चात कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 15.10.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 15.10.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 15.10.2019 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी

	<p>प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 15.10.2019 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।</p>
3	<p>कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 29.01.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 29.01.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।</p>
4	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.01.2020 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.01.2020 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।</p>
5	<p>कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.03.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.03.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
6	<p>कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
7	<p>कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2020-21 को इस शर्त के साथ पारित किया कि वित्त विभाग द्वारा टंकण त्रुटि का सुधार करते हुए कुलपति जी को अवलोकित करा दिया जाय।</p>
8	<p>कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
9	<p>कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 22.11.2019 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 22.11.2019 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
10	<p>कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 27.01.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 27.01.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
11	<p>कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 18.02.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 18.02.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
12	<p>कार्यालय आदेश संख्या सम्बद्धता/2019/10-1263 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पी०जी० पाठ्यक्रम M.D. (Anatomy) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रोफार्मा को सन्दर्भित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सहमति/अनापत्ति प्रदान किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति पर विचार।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
13	<p>कार्यालय आदेश संख्या 145/सा०प्र०/2019 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० निधि चतुर्वेदी, इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 16.10.2019 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संसोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो० मुकुन्द शरण त्रिपाठी, इतिहास विभाग को दिनांक 17.10.2019 से तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के किये विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
14	<p>कार्यालय आदेश संख्या 213/सा०प्र०/2019 दिनांक 05.11.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के परिनियम 8.03 के अन्तर्गत डॉ० सुधाकर लाल श्रीवास्तव, सहयुक्त</p>

	<p>आचार्य, इतिहास विभाग को डॉ० विमलेश कुमार मिश्र, आचार्य, हिन्दी विभाग के स्थान पर आगामी एक वर्ष के लिए डेलीमेरी का उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
15	<p>कार्यालय आदेश संख्या 238/सा0प्र0/2019 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ० वन्दना सिंह, सहायक आचार्य, विधि विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास की अधीक्षिका नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
16	<p>कार्यालय आदेश संख्या 251/सा0प्र0/2019 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री अनिरुद्ध सिंह, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता (सिविल) को निश्चित मानदेय के आधार पर दिनांक 18.11.2019 से एक वर्ष अथवा नियुक्ति होने, तक जो भी पहले हो, सेवा लेने के लिए विस्तारित किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
17	<p>कार्यालय आदेश संख्या 267/सा0प्र0/2019 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ० दुर्गेश पाल, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गौतम बुद्ध छात्रावास का अधीक्षक नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
18	<p>कार्यालय आदेश संख्या 290/सा0प्र0/2019 दिनांक 18.11.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ० निखिल कान्त शुक्ला, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग को डॉ० राजेश कुमार सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग की जगह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए संत कबीर छात्रावास का अधीक्षक नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
19	<p>कार्यालय आदेश संख्या 301/सा0प्र0/2019 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० अनिल कुमार द्विवेदी, डॉ० सचिन कुमार सिंह, डॉ० सीमा मिश्रा, डॉ० गौरीशंकर चौहान एवं डॉ० सिन्दू कुमार को आवास आवंटित किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
20	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1043/सा0प्र0/2019 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता, कला संकाय की नियुक्ति इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, म०प्र० में कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों (15.19(ii d)(iii)) के अधीन कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 06.12.2019 के अपराह से 30.06.2020 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
21	<p>कार्यालय आदेश संख्या 420/सा0प्र0/2019 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता, कला संकाय के द्वारा दिनांक 06.12.2019 के अपराह से 30.06.2020 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश पर चले जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 27(4) (यथा संशोधित) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कला संकाय के वरिष्ठतम आचार्य डॉ० दीप नारायण यादव, आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग को कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता-कला संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>

22	कार्यालय आदेश संख्या 421/सा0प्र0/2019 दिनांक 07.12.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 लक्ष्मी जायरावाल, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को परिणियमावली के परिणियम 15.19 (ii) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 07.12.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक अवैतनिक अवकाश (Extraordinary-Leave) स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
23	कार्यालय आदेश संख्या 471A/सा0प्र0/2019 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 बिमलेन्दु अधिकारी, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग की नियुक्ति National Institute of Technology, Silchar, Assam में सहायक आचार्य पर पर होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिणियमावली के परिणियम 15.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों (15.19(ii d)(iii) के अधीन कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 15.12.2019 से 14.06.2021 (एक वर्ष छः माह) तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
24	कार्यालय आदेश संख्या 507/सा0प्र0/2019 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में बिना अवकाश लिये एवं बिना सूचना दिए दिनांक 10.09.2009 से लगातार अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में आरोप पत्र का नियमानुसार समुचित उत्तर न दिए जाने के कारण श्री राकेश चन्द्र श्रीवास्तव, परिचर, नियन्ता कार्यालय को उ0प्र0 सरकारी नियमावली 1956 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 11 (भाग 2 से 4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुपस्थिति के तिथि दिनांक 10.09.2009 से सेवाये समाप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
25	कार्यालय आदेश 05 /सा0प्र0/2020 दिनांक 04.01.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 अवधेश कुमार तिवारी, आचार्य, वाणिज्य विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 11.01.2020 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिणियमावली (यथा संशोधित) के परिणियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ0 विनय कुमार पाण्डेय, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 12.01.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
26	कार्यालय आदेश 06 /सा0प्र0/2020 दिनांक 04.01.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 04.01.2020 को कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिणियमावली (यथा संशोधित) के परिणियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ0 विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 05.01.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
27	कार्यालय आदेश संख्या 80/सा0प्र0/2020 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में ऐंटी रैगिंग कमेटी, ऐंटी रैगिंग रकवैड तथा रैगिंग मॉनिटरिंग सेल का गठन किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
28	कार्यालय आदेश संख्या 165/सा0प्र0/2019 दिनांक 28.01.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज में अध्यक्ष पद पर होने के फलस्वरूप प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा को विश्वविद्यालय द्वारा प्रावधानित व्यवस्था के अधीन मा0 कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवकाश दिनांक 07.02.2019 से दिनांक 06.02.2020 के क्रम में दिनांक 07.02.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक के लिए विस्तारित/स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
29	कार्यालय आदेश संख्या 206/सा0प्र0/2019 दिनांक 05.02.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के

	<p>आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.01 के अन्तर्गत कार्य परिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में छात्रावासों के अभिरक्षकों का कार्यकाल पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
30	<p>कार्यालय आदेश संख्या 264/सा0प्र0/2019 दिनांक 12.02.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्य परिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ0 राजवीर सिंह, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं डॉ0 सुरेन्द्र कुमार गुप्त, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए गौतम बुद्ध छात्रावास का अधीक्षक नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
31	<p>कार्य परिषद् ने डॉ0 दमयन्ती तिवारी, सहयुक्त आचार्य, हिन्दी विभाग, डॉ0 लक्ष्मी जायसवाल, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग एवं डॉ0 राजेश पाण्डेय, सहायक आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग के वेतन संरक्षण प्रकरण पर गठित समिति की संस्तुति पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ0 दमयन्ती तिवारी, सहयुक्त आचार्य, हिन्दी विभाग, डॉ0 लक्ष्मी जायसवाल, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग एवं डॉ0 राजेश पाण्डेय, सहायक आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग के वेतन संरक्षण प्रकरण पर गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार किया।</p>
32	<p>कार्य परिषद् ने डॉ0 रुसीराम महानन्दा, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति के उपरान्त अर्हता तिथि के निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ0 रुसीराम महानन्दा, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति के उपरान्त अर्हता तिथि के निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार किया।</p>
33	<p>कार्य परिषद् ने पूर्वांचल विकास बोर्ड के कार्यालय हेतु विश्वविद्यालय में स्थान चयनित कर सूचना नियोजन अनुभाग को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, योजना भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 43 / पी0बी0 /क्षे0नि0प्र0/2019 दिनांक 19.10.2019 एवं 36/पी0बी0/क्षे0नि0का0/2019 दिनांक 04.10.2019 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने पूर्वांचल विकास बोर्ड के कार्यालय हेतु विश्वविद्यालय के साइन्स म्यूजियम भवन का भूतल आवंटित किये जाने का निर्णय लिया।</p>
34	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमाली को अद्यतन करने हेतु गठित समिति के द्वारा तैयार किये गये अद्यतन प्रथम परिनियमावली के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमाली को अद्यतन करने हेतु गठित समिति के द्वारा तैयार किये गये अद्यतन प्रथम परिनियमावली के प्रारूप को अनुमोदित किया।</p>
35	<p>विश्वविद्यालय कोर्ट (सभा) गठन एवं 15 सदस्य पंजीकृत स्नातक के चुनाव कराने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् नियमानुसार बैठक के लिए निर्धारित कोरम पूरा होने की स्थिति में विश्वविद्यालय कोर्ट (सभा) की बैठक कराये जाने का निर्णय लिया।</p>
36	<p>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।</p>
(i)	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में आय एवं व्यय में काफी अन्तर होने के कारण विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने हेतु सम्भावनाओं की तलाश हेतु एक समिति गठित करने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में आय एवं व्यय में काफी अन्तर होने के कारण विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने हेतु सम्भावनाओं की तलाश हेतु निम्नलिखित की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रति कुलपति - संयोजक</li> <li>2. अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय - सदस्य</li> <li>3. वित्त अधिकारी - सदस्य</li> </ol>

	4 लेखाधिकारी	सदस्य
(ii)	कार्य परिषद् ने डॉ० राजू कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग प्रो० मुरली मनोहर पाठक, आचार्य, संस्कृत विभाग एवं डॉ० कालीचरण पाण्डेय, दर्शनशास्त्र विभाग के सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी प्रकरण पर गठित समिति की संस्तुति पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने डॉ० राजू कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, प्रो० मुरली मनोहर पाठक, आचार्य, संस्कृत विभाग एवं डॉ० कालीचरण पाण्डेय, दर्शनशास्त्र विभाग के सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी प्रकरण पर गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार किया।	
(iii)	कार्य परिषद् ने दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा संचालित एक वर्षीय पी०जी० डिप्लोमा इन योग (स्ववित्तपोषित) में योग प्रशिक्षक तथा परिचर को संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के रूप में सेवा विस्तार एवं भुगतान के सन्दर्भ में श्री राजशेखर यादव द्वारा दिये गये आवेदन पर सहानभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग के पत्र 25.02.2020 पर विचार किया। उक्त के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा दी गयी बिन्दुवार आख्या कुलसचिव ने सदन में प्रस्तुत की। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि जबतक माननीय न्यायालय का आदेश विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा संचालित एक वर्षीय पी०जी० डिप्लोमा इन योग (स्ववित्तपोषित) में योग प्रशिक्षक तथा परिचर को संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को सेवा विस्तार दिया जाय तथा कार्यरत कर्मियों द्वारा किये गये कार्य अवधि के वेतन का भुगतान किया जाय।	
(iv)	कार्य परिषद् ने सांसद निधि से अवमुक्त किये गये धनराशि से 100 विद्यार्थियों हेतु निर्मित किये जा रहे छात्रावास का नामकरण विधि स्नातक बार एसोशिएसन सिविल कोर्ट गोरखपुर के मंत्री व अध्यक्ष एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे स्व० राम प्रताप शुक्ल छात्रावास किये जाने हेतु श्री शिवप्रताप शुक्ल, सांसद सदस्य (राज्यसभा), पूर्व राज्यमंत्री, भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.03.2020 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् द्वारा सांसद निधि से अवमुक्त किये गये धनराशि से 100 विद्यार्थियों हेतु निर्मित किये जा रहे छात्रावास का नामकरण विधि स्नातक बार एसोशिएसन सिविल कोर्ट गोरखपुर के मंत्री व अध्यक्ष एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे स्व० राम प्रताप शुक्ल छात्रावास किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।	
(v)	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) में शामिल शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के क्रम में कतिपय लागू नई व्यवस्था "उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के संबंध में" प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 से अवगत होना। कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये उसकी स्वीकृति प्रदान की तथा शासनादेश के प्रस्तर 6(1) में उल्लिखित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया जो इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार कर कार्य परिषद् से अनुमोदन के पश्चात शासन को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजेगी। 1. वित्त अधिकारी - संयोजक 2. डॉ० ओंकार नाथ मिश्र - सदस्य 3. डॉ० जे०के०लाल - सदस्य 4. कुलसचिव/नामित - सदस्य सचिव	




(vi)	<p>कार्य परिषद् ने दिनांक 14.12.2019 को आहूत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में स्वीकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के लोगो के अनुमोदन पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में स्वीकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के लोगो को स्वीकार किया। जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।</p>
(vii)	<p>कार्य परिषद् ने कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त श्री अवनीश कुमार पाण्डेय, चतुर्थ संवर्ग से तृतीय श्रेणी (लिपिकीय संवर्ग) में अस्थाई रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, श्री जवाहर प्रसाद गौतम, श्री जयनाथ प्रजापति, श्री हितेश कुमार पाण्डेय, श्री रामकरन एवं श्री शत्रुघ्न आनन्द के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर इनके स्थायीकरण पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त श्री अवनीश कुमार पाण्डेय, चतुर्थ संवर्ग से तृतीय श्रेणी (लिपिकीय संवर्ग) में अस्थाई रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, श्री जवाहर प्रसाद गौतम, श्री जयनाथ प्रजापति, श्री हितेश कुमार पाण्डेय, श्री रामकरन एवं श्री शत्रुघ्न आनन्द के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर इनके स्थायीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।</p>
(viii)	<p>कार्यालय आदेश संख्या 811/सा0प्र0/2020 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, अधिष्ठाता, विधि संकाय का दिनांक 24.03.2020 को तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 27(4) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो0 चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग को दिनांक 25.03.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, विधि संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
(ix)	<p>कार्यालय आदेश संख्या 812/सा0प्र0/2020 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, आचार्य, विधि विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में दिनांक 24.03.2020 को तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो0 चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग को दिनांक 25.03.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
(x)	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पाँच महाविद्यालयों—(1) विद्यार्थी डिग्री कालेज, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर, (2) प्रभा देवी महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीर नगर, (3) बीर बहादुर सिंह पी0जी0 कालेज, हरनहीं, महुँरॉव, गोरखपुर, (4) चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल, महाविद्यालय, हथिहवाँ, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर, (5) किसान पी0जी0 कालेज, पैकौली हाटा, कुशीनगर द्वारा बी0एड0 सत्र 2005-06 में स्वीकृत 100 सीटों के सापेक्ष काउंसिलिंग के पश्चात शेष बची हुई सीटों (जिसमें शासनादेश दिनांक संख्या 944/सत्तर-2-2005-16(49) /2004 टी0सी0 दिनांक 16 मार्च, 2005 के अनुसार प्रबन्धन कोटा 15 प्रतिशत भी सम्मिलित है) एवं निर्धारित सीटों के अतिरिक्त बिना काउंसिलिंग के अपने स्तर से लिये गये प्रवेशित छात्रों जिनका परीक्षाफल घोषित किया गया था की उपाधि निरस्त करने के पूर्व सम्बन्धित की सुनवाई किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पाँच महाविद्यालयों—(1) विद्यार्थी डिग्री कालेज, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर, (2) प्रभा देवी महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीर नगर, (3) बीर बहादुर सिंह पी0जी0 कालेज, हरनहीं, महुँरॉव, गोरखपुर, (4) चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल, महाविद्यालय, हथिहवाँ, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर, (5) किसान पी0जी0 कालेज, पैकौली हाटा, कुशीनगर द्वारा बी0एड0 सत्र 2005-06 में स्वीकृत 100 सीटों के सापेक्ष</p>

काउंसिलिंग के पश्चात् शेष बची हुई सीटों (जिसमें शासनादेश दिनांक संख्या 944/संतर-2-2005-16(49) / 2004 टी0सी0 दिनांक 16 मार्च, 2005 के अनुसार प्रबन्धन कोटा 15 प्रतिशत भी सम्मिलित है) एवं निर्धारित सीटों के अतिरिक्त बिना काउंसिलिंग के अपने स्तर से लिये गये प्रवेशित छात्रों जिनका परीक्षाफल घोषित किया गया था की उपाधि निरस्त करने के पूर्व विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनिमम 14.03 में दिये गये प्राविधान (Before Taking any action under Section 67 for the withdrawal of any degree, diploma or certificate conferred or granted by the university, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registrar by registered post and person concerned shall be required to submit his explanation within a period of not less than fifteen days of the receipt of charges) के दृष्टिगत सम्बन्धित विद्यार्थियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।

1. प्रति कुलपति - संयोजक
2. अधिष्ठाता, विधि संकाय - सदस्य
3. कुलसचिव - सदस्य सचिव

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
कुलसचिव

कुलपति



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 27.11.2020 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० एन०पी० भोक्ता	सदस्य
3.	डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही	सदस्य
4.	प्रो० अवधेश कुमार तिवारी	सदस्य
5.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
6.	प्रो० विजय शंकर वर्मा	सदस्य
7.	प्रो० शीतला प्रसाद सिंह	सदस्य
8.	डॉ० अनुराग द्विवेदी	सदस्य
9.	डॉ० राम प्यारे मिश्र	सदस्य
10.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ० हरिराम यादव	सदस्य
12.	डॉ० अरुण कुमार त्रिपाठी	सदस्य
13.	श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी	वित्त अधिकारी
14.	डॉ० ओम प्रकाश, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा, अधिवक्ता, गोरखपुर, प्रो० सुभी धुसिया, समाजशास्त्र विभाग, प्रो० अंजु, समाजशास्त्र विभाग, डॉ० ओम प्रकाश शुक्ल, बी०आर०डी०बी०डी०पी०जी०कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया, एवं डॉ० देवेन्द्र प्रताप मिश्र, म०मो०मा०पी०जी०कालेज, भाटपाररानी, देवरिया को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं नवनामित सदस्य, डॉ० सन्तराम वर्मा, अधिष्ठाता, कृषि संकाय, प्रो० शोभा गौड़, शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रो० जोन्नाडा ए०वी० प्रसादा राव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा, अधिवक्ता, गोरखपुर, डॉ० हरिराम यादव, म०मो०मा०पी०जी०कालेज, भाटपाररानी, देवरिया एवं डॉ० अरुण कुमार त्रिपाठी, बी०आर०डी०बी०डी०पी०जी०कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया, का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके पश्चात कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20.03.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2020 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20.03.2020 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
3	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 26.11.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक

	<p>दिनांक 26.11.2020 की संस्तुतियों को निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार किया।</p> <p>क्रम संख्या-4 पर Centre for Excellence for Approval and sent State Govt., U.P. के अन्तर्गत वाणिज्य संकाय में अंकित-</p> <p><b>Economics Department</b></p> <p>a. Centre for Excellence for Institute of Hotel and Tourism Managment में Economics Department के स्थान पर त्रुटि को संशोधित कर Commerce Department स्वीकार किया।</p>
4	<p>कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
5	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1305/सा0प्र0/2020 दिनांक 18.10.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 अजय सिंह, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग को विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) की धारा 02.12 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
6	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1304/सा0प्र0/2020 दिनांक 18.10.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की परिनियमावली के परिनियम 02.26 में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय आचार्य, रक्षा एवं स्नातजिक अध्ययन विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को कार्यभार ग्रहण की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नियंता के पद पर नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
7	<p>कार्यालय आदेश संख्या 827/सा0प्र0/2020 दिनांक 28.04.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के पद पर नियुक्ति हेतु प्रो0 ओ0पी0 पाण्डेय, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग एवं प्रो0 सुग्रीव नाथ तिवारी, आचार्य, भौतिकी विभाग, के प्रत्यावेदन से प्रो0 वी0एन0 पाण्डेय, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग एवं प्रो0 ओ0पी0 पाण्डेय के मध्य वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.04.2020 के अनुपालन में प्रो0 अवधेश कुमार तिवारी, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय दिनांक 29.04.2020 से उक्त विवाद के निस्तारण होने तक अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय के पद का अतिरिक्त कार्य देखने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
8	<p>कार्यालय आदेश संख्या 830/सा0प्र0/2020 दिनांक 05.05.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 वी0एन0 पाण्डेय, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, के अनुरोध पत्र दिनांक 30.04.2020 एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में प्रो0 ओ0पी0 पाण्डेय, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग को दिनांक 05.05.2020 से उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.05.2020 तक अथवा अन्य कोई आदेश जो भी पहले हो, तक के लिये अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
9	<p>कार्यालय आदेश संख्या 835/सा0प्र0/2020 दिनांक 13.05.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्री रत्नेश सिंह पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह, ग्राम-ढढौना, पो0-सरया तिवारी, थाना-खजनी, जनपद-गोरखपुर उ0प्र0 को कार्यपरिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2000/- में अस्थाई रूप से एक वर्ष की परिदीक्षा अवधि पर नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
10	<p>कार्यालय आदेश संख्या 847/सा0प्र0/2020 दिनांक 22.05.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्री आनन्द कुमार तिवारी पुत्र स्व0 बृजेश कुमार त्रिपाठी, पता-हीरापुरी कालोनी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को कार्यपरिषद् की</p>

	<p>अनुमोदन की प्रत्याशा में मृतक आश्रित के रूप में परिचर के पद पर वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1800/- में अस्थाई रूप से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
11	<p>कार्यालय आदेश संख्या 05-18/कुरका/2020 दिनांक 28.05.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में MD Pharmacology, M.S. Otorhinolaryngology, M.S. Surgery, M.D. Medicine पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित निकायों से पाठ्यक्रमों को स्वीकृत कराने की शर्त पर तथा मा० कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में सहमति/अनापत्ति प्रदान किये जाने संबंधी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
12	<p>कार्यालय आदेश संख्या 853/सा०प्र०/2020 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० ओ०पी० पाण्डेय, आचार्य, रसायनशास्त्र विज्ञान विभाग को उच्च विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिये "शिक्षक श्री सम्मान-2018" पुरस्कार प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या: 3/2017/730/सत्तर-1-2017-16(56)/2016 दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के अनुसार इनकी दिनांक 31.05.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 01.06.2020 से दो वर्ष की सेवा विस्तार किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
13	<p>कार्यालय आदेश संख्या 855/सा०प्र०/2020 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० हुमा जावेद सब्जपोश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 29.05.2020 को पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार एवं मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुपालन में अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठतम् आचार्य प्रो० आलोक कुमार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग को दिनांक 30.05.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
14	<p>कार्यालय आदेश संख्या 856/सा०प्र०/2020 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० ओ०पी० पाण्डेय, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग दिनांक 31.05.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करते हुये सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार एवं मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुपालन में रसायन विज्ञान विभाग के वरिष्ठतम् आचार्य प्रो० सुधा यादव, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग को दिनांक 01.06.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने के सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
15	<p>कार्यालय आदेश संख्या 858/सा०प्र०/2020 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० ओ०पी० पाण्डेय, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग के अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के पद से दिनांक 31.05.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षिता पूर्ण करते हुये सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 (4) के अन्तर्गत एवं मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुपालन में विज्ञान संकाय के वरिष्ठता सूची के क्रम में वरिष्ठतम् आचार्य प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी, आचार्य, भौतिकी विभाग का नाम आ रहा है, तदनुसार दिनांक 01.06.2020 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी को अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
16	<p>कार्यालय आदेश संख्या 860/सा०प्र०/2020 दिनांक 30.05.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० दीप नारायण यादव, आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता, कला संकाय का नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू, झारखण्ड में प्रति- कुलपति पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.19 एवं</p>

	<p>उसके विभिन्न उपबन्धों 15.19 (ii d) एवं 15.19 (iii) के अधीन कार्यपरिषद के स्वीकृति के प्रत्याशा में दिनांक 01 जून 2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 30 जून, 2021 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुये कार्यभक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																														
17	<p>कार्यालय आदेश संख्या 862/सा0प्र0/2020 दिनांक 30.05.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 दीप नारायण यादव, आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता, कला संकाय के द्वारा दिनांक 01 जून 2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 30 जून 2021 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश पर चले जाने के रिश्ति में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 27 (4) (यथा संशोधित) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कला संकाय के वरिष्ठतम आचार्य डॉ0 नन्दिता आई0पी0सिंह, अंग्रेजी विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, कला संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																														
18	<p>कार्यालय आदेश संख्या 866/सा0प्र0/2020 दिनांक 30.05.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन प्रो0 रवि शंकर सिंह, आचार्य, भौतिकी विभाग का कार्यकाल दिनांक 11.04.2020 (सत्र 2020-21) से एक वर्ष या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर कार्य विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																														
19	<p>कार्यालय आदेश संख्या 866 A/सा0प्र0/2020 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नति हेतु गठित समिति के बैठक दिनांक 01.06.2020 में की गयी संस्तुति की तिथि से निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पर पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। (प्रतिलिपि संलग्न)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कर्मचारी का नाम</th> <th>विभाग/अनुभाग</th> <th>वर्तमान पद</th> <th>प्रोन्नति पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र</td> <td>परीक्षा गोपनीय</td> <td>प्रधान सहायक</td> <td>प्रशा0 अधिकारी</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>श्री सूरज कुमार राजभर</td> <td>लेखा विभाग</td> <td>वरिष्ठ सहायक</td> <td>प्रधान सहायक</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>श्री रोहित शर्मा</td> <td>यू0जी0सी0 अनुभाग</td> <td>वरिष्ठ सहायक</td> <td>प्रधान सहायक</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव</td> <td>सबल कक्ष</td> <td>वरिष्ठ सहायक</td> <td>प्रधान सहायक</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>राहुल त्रिपाठी</td> <td>लेखा विभाग</td> <td>वरिष्ठ सहायक</td> <td>प्रधान सहायक</td> </tr> </tbody> </table> <p>कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>	क्र.स.	कर्मचारी का नाम	विभाग/अनुभाग	वर्तमान पद	प्रोन्नति पद	1	श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र	परीक्षा गोपनीय	प्रधान सहायक	प्रशा0 अधिकारी	2	श्री सूरज कुमार राजभर	लेखा विभाग	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक	3	श्री रोहित शर्मा	यू0जी0सी0 अनुभाग	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक	4	श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव	सबल कक्ष	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक	5	राहुल त्रिपाठी	लेखा विभाग	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक
क्र.स.	कर्मचारी का नाम	विभाग/अनुभाग	वर्तमान पद	प्रोन्नति पद																											
1	श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र	परीक्षा गोपनीय	प्रधान सहायक	प्रशा0 अधिकारी																											
2	श्री सूरज कुमार राजभर	लेखा विभाग	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक																											
3	श्री रोहित शर्मा	यू0जी0सी0 अनुभाग	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक																											
4	श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव	सबल कक्ष	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक																											
5	राहुल त्रिपाठी	लेखा विभाग	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक																											
20	<p>कार्यालय आदेश संख्या 870/सा0प्र0/2020 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 बदरे आलम अंसारी, सेवानिवृत्त आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 29.04.1993 से दिनांक 30.09.2005 तक विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में की गयी सेवा को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में की गयी सेवा में पेंशन हेतु आगणित किये जाने की अनुमति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																														
21	<p>कार्यालय आदेश संख्या 868/सा0प्र0/2020 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 मनीष कुमार पाण्डेय, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग को सहायक जन सम्पर्क अधिकारी/सह-मीडिया प्रभारी नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																														
22	<p>कार्यालय आदेश संख्या 983/सा0प्र0/2020 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 करुणाकर राम त्रिपाठी, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिनांक 02.07.2020 को पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनिर्णयमावली (यथा संशोधित) के परिनिर्णय 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग के वरिष्ठतम आचार्य डॉ0 आलोक कुमार गोयल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को दिनांक 03.07.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक तक के लिए</p>																														

	<p>विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
23	<p>कार्यालय आदेश संख्या 984/सा0प्र0/2020 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 सतीश चन्द्र पाण्डेय, आचार्य, रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिनांक 03.07.2020को पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग के वरिष्ठतम् आचार्य डॉ0 हर्ष कुमार सिन्हा, आचार्य, रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विभाग को दिनांक 04.07.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
24	<p>कार्यालय आदेश संख्या 985/सा0प्र0/2020 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिनांक 03.07.2020को पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग के वरिष्ठतम् आचार्य डॉ0 संगीता पाण्डेय, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग को दिनांक 04.07.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
25	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1017/सा0प्र0/2020 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में मीडिया एवं जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु श्री दीपेन्द्र मोहन सिंह, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग एवं डॉ0 रुचिका सिंह, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग को सहायक मीडिया एवं जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
26	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1045/सा0प्र0/2020 दिनांक 16.07.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 वशिष्ठ नारायण पाण्डेय, वनस्पति विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 20.07.2020 को पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अधीन चक्रानुक्रम के अन्तर्गत मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 10.07.2020 के अनुपालन में प्रो0 पूजा सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग को दिनांक 21.07.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
27	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1090/सा0प्र0/2020 दिनांक 08.08.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 रामप्रकाश, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग के विभिन्न महाविद्यालय में की गई दिनांक 03.03.1983 से दिनांक 31.10.2006 तक की सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी प्रकरण पर शासनादेश संख्या-1890/सत्तर-6/97-17।39।/94 दिनांक 26 सितम्बर 1977 एवं शासनादेश संख्या-2148/पन्द्रह।15।-1983-46।14।/83 दिनांक 24 दिसम्बर 1983 एवं शासनादेश संख्या-13/70-4/2004-46।2।/2004 दिनांक 27 मई 2004 पर समिति द्वारा विचार किया गया साथ ही यह भी अवगत कराना है कि राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर से मूल सेवा पुस्तिका प्राप्त हो गयी है, विचारोपरान्त डॉ0 राम प्रकाश की राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर एवं विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में की गई सेवाओं को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में की गई सेवाओं के साथ पेंशन गणना हेतु जोड़े जाने की समीक्षा की गई तत्पश्चात् शासनादेश में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार डॉ0 राम प्रकाश द्वारा पूर्व में की गई राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर एवं विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 03.03.1983 से दिनांक 31.10.2006 तक की सेवा को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में की गई सेवा पेंशन गणना हेतु जोड़े जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
28	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1124/सा0प्र0/2020 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी</p>

के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम क्रमशः 3.01 एवं 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अभिरक्षकों व अधीक्षकों का कार्यकाल पूर्व आदेश के क्रम में कोरोना(covid-19) महामारी के दृष्टिगत आदेश की तिथि से एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

क्र.स.	अभिरक्षकों का नाम, पद व विभाग	छात्रावास
1.	प्रो० (श्रीमती) शोभा गौड़, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग	अलकनन्दा
क्र.स.	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास
2.	डॉ० अंशु गुप्ता, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग	सन्तकबीर
3.	डॉ० मीतू सिंह, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग	अलकनन्दा
4.	डॉ० ज्योति बाला, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग	अलकनन्दा

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

29	कार्यालय आदेश संख्या 1132/सा०प्र०/2020 दिनांक 27.08.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० प्रदीप कुमार यादव का नियन्ता के रूप में कार्यकाल दिनांक 28.08.2020 को समाप्त हो रहा है। अतः मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 27.08.2020 द्वारा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम की धारा 02.26 के अन्तर्गत प्रो० प्रदीप कुमार यादव, आचार्य रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के विश्वविद्यालय नियन्ता का कार्यकाल दिनांक 28.08.2020 से 01 (एक) के लिये विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
30	कार्यालय आदेश संख्या 1149/सा०प्र०/2020 दिनांक 05.09.2020 के द्वारा मा० कुलाधिपति जी के आदेश के अनुपालन में आदेश संख्या-ई-4931/जी०एस०, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के अनुपालन में प्रो० राजेश सिंह, कुलपति, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया, बिहार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति पद पर दिनांक 05.09.2020 को कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
31	कार्यालय आदेश संख्या 1167/सा०प्र०/2020 दिनांक 10.09.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ० रामप्रकाश द्वारा पूर्व में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर एवं विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 03.03.1983 से दिनांक 31.10.2006 तक की सेवा को विश्वविद्यालय में पेंशन गणना हेतु जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
32	कार्यालय आदेश संख्या 1235/सा०प्र०/2020 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य, भूगोल विभाग, कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के आवेदन पत्र संख्या ओ.यू./वी.सी./090/2020 दिनांक 09 सितम्बर 2020 के क्रम में पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश दिनांक 21.02.2018 से दिनांक 20.02.2019 तक की अवधि को दिनांक 21.02.2019 से दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
33	कार्यालय आदेश संख्या 1263/सा०प्र०/2020 दिनांक 03.10.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या 1503/सा०प्र०/2020 दिनांक 07.09.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित निश्चित मानदेय के आधार पर नियुक्त डॉ० मनीष मोहन श्रीवास्तव एवं डॉ० सपना छापड़िया का पुनः दिनांक 07.09.2020 से एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये सेवा विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
34	कार्यालय आदेश संख्या 1266/सा०प्र०/2020 दिनांक 10.10.2020 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही, एसो० प्रोफेसर, पशुपालन विभाग, बाबा



	<p>राधव दास पी0जी0 कालेज, देवरिया को दिनांक 12.10.2020 से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये अधिष्ठाता, कृषि संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
35	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1382/सा0प्र0/2020 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा गा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 प्रेमप्रकाश पाण्डेय, डाटा इण्ट्री आपरेटर, यू0जी0सी0 अनुभाग की नियुक्ति शिक्षा निदेशक (उ.शि.) उ0प्र0 डिग्री अर्थ-1 (आयोग), प्रयागराज द्वारा ए0एन0डी0 किसान कालेज, बभनान, गोण्डा में असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र के पद पर होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा प्रावधानित व्यवस्था के अधीन माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 11.11.2020 से 10.11.2021 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु असाधारण/अवैतनिक अवकाश एक वर्ष के लिये स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
36	<p>गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, गोरखनाथ, गोरखपुर द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग की सम्पूर्ण सम्पत्ति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, सोनबरसा, बालापार रोड, गोरखपुर में समाहित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, गोरखनाथ, गोरखपुर द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग की सम्पूर्ण सम्पत्ति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, सोनबरसा, बालापार रोड, गोरखपुर में समाहित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।</p>
37	<p>कार्य परिषद् ने अशोक कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) प्रधान सहायक सबल कक्ष एवं श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (सेवानिवृत्त) प्रधान सहायक परीक्षा सामान्य विभाग को पुनर्नियोजित करने पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अशोक कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) प्रधान सहायक सबल कक्ष एवं श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (सेवानिवृत्त) प्रधान सहायक परीक्षा सामान्य विभाग के दिनांक 30.09.2019 को सेवानिवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय पर एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो तक कार्य लेने के आदेश के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये परीक्षा विभाग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत पुनः दिनांक 01.10.2020 से एक वर्ष के लिए, अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो एवं वित्त समिति द्वारा पारित मानदेय पर कार्य लेने की अपनी सहमति प्रदान की।</p>
38	<p>कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में दीक्षा भवन के सामने मैदान में लो0नि0वि0 द्वारा बनाये गये अस्थायी हैलीपैड को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता नि0ख0 (भवन) लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्र संख्या 1415/1/याता दिनांक 05.06.2020 पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में दीक्षा भवन के सामने मैदान में लो0नि0वि0 द्वारा बनाये गये अस्थायी हैलीपैड को स्थायी किये जाने पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया।</p>
39	<p>कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी की सदस्यता हेतु प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, डॉ0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2020/11084 दिनांक 22.10.2020 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी की सदस्यता हेतु प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, डॉ0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2020/11084 दिनांक 22.10.2020 के प्रस्ताव को स्वीकार किया।</p>
40	<p>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।</p>

40	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।
1	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम 26(1) घ के अधीन विश्वविद्यालय के परिनियम 49 (6.01) के अन्तर्गत कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति हेतु पूर्व नामित सदस्य श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव का 01 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त एक व्यक्ति को वित्त समिति के सदस्य के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी के पत्र पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम 26(1) घ के अधीन विश्वविद्यालय के परिनियम 49 (6.01) के अन्तर्गत कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति हेतु पूर्व नामित सदस्य श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव का 01 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त एक व्यक्ति को वित्त समिति के सदस्य के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य नामित किये हेतु सर्वसम्मति से मा० कुलपति जी को अधिकृत किया।
2	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
3	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.2020 की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
4	कार्य परिषद् ने श्री शिव कुमार त्यागी, प्रधान सहायक, लेखा विभाग को एक वर्ष के लिए मानदेय के आधार पर कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री शिव कुमार त्यागी, प्रधान सहायक, लेखा विभाग के दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् कार्य की अधिकता के दृष्टिगत एवं वित्त समिति द्वारा पारित मानदेय पर एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए कार्य लेने की अपनी सहमति प्रदान की।
5	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में पत्रावलियों के रख-रखाव सुदृढ करने हेतु बनाये गये दिशा-निर्देश पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में पत्रावलियों के रख-रखाव सुदृढ करने हेतु बनाये गये दिशा-निर्देश को स्वीकार किया। साथ ही सभी पत्रावलियों का डिजिटलीकरण, पेपरलेस तथा आन लाइन कराने के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर इसका प्रस्तुतिकरण अगली बैठक में कराये जाने का निर्णय लिया।
6	कार्य परिषद् ने माननीय सदस्य कार्यपरिषद् एवं माननीय कुलपति जी के द्वारा आमंत्रित /अनुमति से अति विशिष्ट अतिथिगण के विश्वविद्यालय अतिथि गृह में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रभारी विश्वविद्यालय अतिथि गृह के पत्र दिनांक 27.11.2020 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने माननीय सदस्य कार्यपरिषद् एवं माननीय कुलपति जी के द्वारा आमंत्रित /अनुमति से अति विशिष्ट अतिथिगण के अतिरिक्त अन्य समस्त अतिथियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर ही अतिथि गृह आवंटित किये जाने का निर्णय लिया।
7	कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-5511/सत्तर-3-2020-08(20)/2020 दिनांक 24.11.2020 से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-5511/सत्तर-3-2020-08(20)/2020 दिनांक 24.11.2020 से अवगत होते हुये उक्त आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया।
8	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए एक कंपनी के साथ मिलकर स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया, जिसके अन्तर्गत आने वाले प्रीमियम का वहन कंपनी एवं शिक्षक/कर्मचारी दोनों के द्वारा

	किया जायेगा। साथ इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अगली बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।
9	कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य, प्रायोगिक कार्य हेतु बनाये गये परीक्षक, एवं अन्य किये गये शैक्षणिक कार्यों हेतु समय से देयक का भुगतान सुचारु रूप से किये जाने के लिए एक आन लाइन प्रारूप बनाये जाने हेतु वित्त अधिकारी को निर्देशित किया।
10	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, सदस्य कार्यपरिषद द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद ने सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के पश्चात इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0 /

कुलपति

  
कुलसचिव

